मैनुअल

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 अंतर्गत)

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग

अक्टूबर– 2005

छत्तीसगढ़ शासन : वन विभाग

मैनुअल : एक (i)

1.1 संगठन की विशिष्ठियॉ, कृत्य एवं कर्तव्य :–

1.1.1 छत्तीसगढ़ शासन का वन विभाग, वन प्रबंधन, वन संरक्षण, संवर्धन, जैव विविधता संरक्षण, वन्य जन्तु संरक्षण, वनोत्पादों का संग्रहण तथा प्रसंस्करण जैसे निर्दिष्ट कार्यो के संचालन का प्रशासकीय विभाग है । विभाग द्वारा उक्त कार्यो का संपादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़, जो विभागाध्यक्ष हैं एवं जिनका कार्यालय रायपुर में स्थित है, के माध्यम से कराया जाता है ।

1.1.2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्दिष्ट कार्यो का संपादन प्रदेश में स्थापित 6 वनवृत्तों तथा 32 वनमण्डलों के माध्यम से किया जाता है । साथ ही, वनमण्डलों में निहित वनक्षेत्रों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु, प्रत्येक वनमण्डल हेतु प्रबन्ध योजना निर्माण करने की व्यवस्था है । इन प्रबंध योजनाओं के निर्माण हेतु मुख्यालय पर एक मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय स्तर पर एक वन संरक्षक तथा 6 वनमण्डलों की स्थापना की गई है ।

1.1.3 वन्य जंतुओं के संरक्षण हेतु मुख्यालय पर एक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पदस्थ किए गए तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यो के संचालन हेतु प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यानों हेतु एक संचालक तथा अभ्यारण्यों के लिए अधीक्षक पदस्थ किए गए हैं । प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान तथा 11 अभ्यारण्य है ।

1.1.4 लघु वनोपज के संग्रहण तथा प्रसंस्करण हेतु सहकारिता क्षेत्र में एक त्रि–स्तरीय व्यवस्था स्थापित की गई है । इसके अधीन राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ, वनमंडल स्तर पर जिला यूनियन तथा ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक लघु वनोपज समितियॉ गठित है ।

01	छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ	01
02	जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन	32
03	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	993

1.2 विभाग के दायित्व :

इस विभाग को सौपे गये प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :–

1.2.1 विभाग द्वारा शासित अधिनियमों और नियमों का प्रशासन ।

1.2.2 नये अधिनियमों एवं नियमों का प्रारूप तैयार करना तथा सक्षम प्राधिकारी से वैधानिक एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना ।

1.2.3 अधिनियमों एवं नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधनों का प्रारूप तैयार करना और निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना ।

1.2.4 विभाग से संबंधित राज्य शासन की नीतियों का सृजन, परिमार्जन एवं क्रियान्वन ।

1.2.5 भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागााध्यक्षों से समन्यव ।

1.2.6 भारत शासन द्वारा जारी नीतियों का परीक्षण और राज्य शासन की ओर से सुझाव तथा परामर्श देना ।

1.2.7 भारत सरकार और राज्य शासन की योजनाओं को लागू करना तथा उनके अनुश्रवण, मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना ।

1.2.8 भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम 1972, तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964, छत्तीसगढ़ राज्य विनिर्दिष्ट वनोपज विनियमन अधिनियम 1969, वन संरक्षण अधिनियम 1980, काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन की शक्तियों एवं कृत्यों का पालन ।

1.2.9 वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित विषयों को छोड़कर, विभाग के अधीन सेवाओं का कार्मिक प्रशासन ।

1.2.10 लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा के प्रश्नों का उत्तर तैयार कर प्रेषित करना ।

1.2.11 सी.ए.जी. एवं लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन तैयार कर प्रेषित करना ।

1.2.12 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय एवं विभिन्न न्यायालयों में चल रहे न्यायालीन प्रकरणों में शासन की ओर से पक्ष समर्थन करना ।

मैनुअल : दो (ii)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य :–

विभाग में छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम के अधीन शक्तियों एवं कर्तव्य का निर्वहन किया जाता है ।

मैनुअल : तीन (iii)

3. कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

3.1 भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक .... सन् ....)

3.2 छत्तीसगढ़ तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 (क्रमांक....सन्......)

3.3 छत्तीसगढ़ विनिर्दिष्ट (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्रमांक.....सन्....)

3.4 वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 (क्रमांक .... सन् ....)

3.5 वन संरक्षण अधिनियम 1980 (क्रमांक .... सन् ....)

3.6 काष्ठ चिरान अधिनियम 1980 (क्रमांक .... सन् ....)

7.3 छत्तीसगढ़ चराई नियम (क्रमांक .... सन् ....)

3.8 वन वित्त नियमावली 1986

3.9 संयुक्त वन प्रबंध क्रियान्वयन शासकीय संकल्प (क..........दिनांक ......)

3.10 छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकारी पुस्तिका भाग–एक एवं भाग–दो ।

3.11 छत्तीसगढ़ कार्य विभाग मैनुअल्स 1963 ।

3.12 छत्तीसगढ़ पेंशन नियम ।

3.13 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 ।

3.14 मूलभूत नियम ।

3.15 अवकाश नियम ।

3.16 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 ।

3.17 संचिवालयीन मैनुअल्स ।

18. सेवा भर्ती नियम ।

मैनुअल : चार (iv)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण : –

महत्वपूर्ण नीति, तथा अधिनियम में संशोधन राज्य के विधान सभा द्वारा पारित किये जाते हैं। स्थापित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमों का सृजन विभाग द्वारा किया जाता है । जिसे विधानसभा के पटल पर रखा जाता है ।

मैनुअल : पॉच (v)

लोक प्राधिकारी के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो के अनुसार विवरण :–

मैनुअल–1 में उल्लेखित बिन्दुओं, जिनका दायित्व विभाग के अधीन है, से संबंधित समस्त प्रकरणों की नस्तियां तथा अभिलेख विभाग में पदस्थ दो अनुभाग अधिकारियों के अधीन है ।

मैनुअल : छ (vi)

बोर्ड, परिषद, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण :–

6.1 विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में निम्नानुसार बोर्ड, निगम एवं संघ स्थापित है :–

(1) छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम

(2) छत्तीसगढ़ लघु वनोपज (व्यापार/विकास) सहकारी संघ

(3) छत्तीसगढ़ वनऔषधि पादप बोर्ड

6.2 विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में प्रमुख कार्यालय निम्नानुसार है :–

कार्यालय का नाम	पता	कार्यालय प्रमुख	टेलीफोन नं.	फैक्स नं.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ रायपुर	मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर	श्री आर.एन. मिश्रा	2331121	2331110
प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम	लोकाश प्लाजा शंकर नगर मार्ग, रायपुर	श्री आर.के. शर्मा	2444428	2444427
प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ	ए–25 व्ही.आई.पी. स्टेट विधान सभा रोड, खम्हारडीह, शंकर नगर रायपुर	श्री ए.के. सिंह	2283593, 2283262, 2283267	2283594
मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ वन औषधि पादप बोर्ड	श्याम पेट्रोल पंप के पीछे, सिविल लाईन, रायपुर	श्री के.सी. यादव	2422036	2422037

मैनुअल : सात (vii)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियॉं –

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष कार्या0	निवास	पता
1.	श्री बी.के. सिन्हा सचिव	अपीलीय अधिकारी	0771	5080237 2221037	2421501	कक्ष क्र.236 मंत्रालय,डी.के. एस.भवन, वन विभाग
2.	श्री एल.एन. सूर्यवंशी विशेष सचिव	जनसूचना अधिकारी	0771	5080944	–––	कक्ष क्र.144 –––तदैव–––

3.	श्री के.आर. बर्मन अवर सचिव	सहायक जनसूचना अधिकारी	0771	5049143	2323135	कक्ष क्र.157 (ए.एन.–2)

मैनुअल : आठ(viii)

8. निर्णय लेने की प्रक्रिया :–

8.1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागाध्यक्ष से प्राप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत स्वीकृत किए जाते हैं । मंत्रालयीन कार्य संचालन नियम के प्रावधानों के अंतर्गत विभाग के विशेष मामलों में मुख्य सचिव एवं माननीय मुख्यमंत्रीजी की सहमति प्राप्त कर स्वीकृति दी जाती है । नीतिगत निर्णय प्रदेश शासन के मंत्रि–परिषद् के निर्णय के उपरांत क्रियान्वित किये जाते हैं ।

8.2 विभाग के अधीन काष्ठ तथा बांस के व्यापार एवं छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ द्वारा लघु वनोपज के व्यापार एवं संबंधित विषय पर निर्णय तथा आदेश देने हेतु माननीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक 'अंतरविभागीय समिति' गठित की गई है । यह समिति दर निर्धारण, निविदा स्वीकृति इत्यादि की कार्यवाही करती है ।

मैनुअल : नौ (ix)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका :–

	नाम	पदनाम	कोड न.	दूरभाष कार्या0	दूरभाष निवास	पता
1.	श्री सरजियस मिंज	प्रमुख सचिव	0771 फैक्स–	5080260 2221260	2221260	वन विभाग, मंत्रालय कक्ष क्र. 260
2.	श्री बी.के. सिन्हा	सचिव	0771 फैक्स–	5080237 2221037	2221037	वन विभाग, मंत्रालय कक्ष क्र.236
3.	श्री एल.एन. सूर्यवंशी	विशेष सचिव	0771	5080944	–––	वन विभाग, मंत्रालय कक्ष क्र.144
4.	श्री के.आर. बर्मन	अवर सचिव	0771	5049143	2323135	वन विभाग, मंत्रालय कक्ष क्र. (ए.एन.)157
5.	श्री जे.एन. अवस्थी	अनुभाग अधिकारी	0771	5080755	2572297	–तदैव–
6.	श्री एस.के. तिवारी	अनुभाग अधिकारी	0771	5080755		–तदैव–

मैनुअल : दस (x)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वतिः—

क.	नाम	पदनाम	मूल वेतन	मासिक परिलब्धियॉ	पता
1.	श्री सरजियम मिंज	प्रमुख सचिव	23450 / —	41580 / —	वन विभाग
2.	श्री बी.के. सिन्हा	सचिव	18900 / —	27825 / —	—तदैव—
3.	श्री एल.एन. सूर्यवंशी	विशेष सचिव	15900 / —	20115 / —	—तदैव—
4.	श्री के.आर. बर्मन	अवर सचिव	10000 / —	14141 / —	—तदैव—
5.	श्री एस. के. तिवारी	अनुभाग अधिकारी	7100 / —	11144 / —	—तदैव—
6.	श्री जे.एन. अवस्थी	अनुभाग अधिकारी	7100 / —	10682 / —	—तदैव—

मैनुअल : ग्यारह (xi)

विभाग का बजट आबंटन :—

विभाग के बजट का संचालन एवं नियंत्रण प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा किया जाता है । वन आयोजनेत्तर मद का नियंत्रण मुख्य वन संरक्षक (वित्त / बजट) तथा आयोजना मद का नियंत्रण अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास / योजना) द्वारा किया जाता है ।

वार्षिक बजट में निर्धारित विभागीय बजट से राशि का आबंटन सर्वप्रथम संबंधित वनवृत्तों को किया जाता है तथा संबंधित वन संरक्षक द्वारा उनके अधीन वनमंडलों में वर्ष में कराए जाने वाले भौतिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर वनमंडलवार बजट का आबंटन किया जाता है ।

माह में विभिन्न मदों से राशि आहरण, क्षेत्रीय कार्यो में हुए व्यय का भुगतान संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा कराया जाता है, जिसका लेखा संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा सीधे महालेखाकार को प्रेषित किया जाता है ।

मैनुअल : बारह (xii)

विकास/योजना शाखा

विभाग में अनुदान की कोई योजना नहीं है । परंतु हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि, जनघायल तथा पशुहानि के कारण क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है जिसकी कार्यवाही संबंधित वनमंडल स्तर से की जाती है ।

इसी प्रकार विभाग द्वारा वन सुरक्षा समितियों को उनके क्षेत्रान्तर्गत मुख्य पातन से हुई आय का 15 प्रतिशत तथा ग्राम वन समितियों को 30 प्रतिशत राशि अनुदान स्वरुप देने का प्रावधान है । भुगतान की कार्यवाही वनमंडल स्तर से सम्पादित होती है ।

मैनुअल : तेरह (xiii)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में जानकारी

विभाग स्तर से कोई भी रियायतें, अनुज्ञापन तथा प्राधिकारों का निराकरण नहीं होता । फिर भी निस्तार सुविधा के तहत, स्थानीय ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ चराई नियम 1986, वन सुरक्षा समितियों/ग्राम वन समितियों को विभागीय अधिसूचना दिनांक 22.10.2001 एवं संशोधित दिनांक 31.10.2002, द्वारा तथा बसोड़ों को रियायतें प्रदत्त हैं, जिसका निराकरण क्षेत्रीय स्तर पर होता है ।

मैनुअल : चौदह (xiv)

कृत्यों के निर्वाहन के लिये स्थापित मानक/नियम :–

विभाग में कार्यो के संचालन हेतु मंत्रालयीन कार्य नियम तथा सचिवालयीन कार्यालय पुस्तिका में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ।

मैनुअल–3 के अनुसार

मैनुअल : पन्द्रह (xv)

इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचनाएँ :–

इलेक्ट्रानिक फारमेट में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

मैनुअल : सोलह (xvi)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :–

अवर सचिव, सहायक सूचना अधिकारी के कक्ष क्रमांक– एनेक्सी 157 मंत्रालय, डी.के. एस.भवन रायपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है ।

मैनुअल : सत्रह (xvii)

अन्य उपयोगी जानकारियॉ :–

1. विभाग से संबंधित सुसंगत जानकारी निम्नांकित कार्यालयों से भी प्राप्त की जा सकती है ।
    1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय, रायपुर
    2) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर
    3) प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ, रायपुर
    4) समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक, कार्यालय
    5) समस्त 32 क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी, कार्यालय
    6) समस्त संचालक राष्ट्रीय उद्यान कार्यालय एवं अधीक्षक अभ्यारण्य कार्यालय
2. अन्य जानकारी विभाग के वेबसाइट **http://cgforest.nic.in** पर उपलब्ध है ।